258

समक्ष न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर (म.प्र.)

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2016

निग- 3144-I-16

आवेदक :- विनोद कुमार सोनकर, उम लगभग 63 वर्ष, आत्मज स्व0 बड़कू उर्फ हीरामन सोनकर, निवासी- म.नं.226, अच्छेलाल सोनकर पूर्व विधायक के घर के सामने भरतीपुर, बड़ी ओमती, जबलपुर (म0प्र0)

श्री अजय कुमार मिश्रा अभि0 द्वारा आज दि. 16.9.16 को प्रस्तुत

16.9.16
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

विरूद्ध

अनावेदक :- श्रीमती किरण बाई सोनकर, उम लगभग 46 वर्ष, पत्नी श्री माखन सोनकर, निवासी- म.नं.414/1, राधाकृष्णन वार्ड, थाना हनुमानताल भानतलैया, जबलपुर (म0प्र0)

Ajay Mishra Adv. 16/9/16

आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू-राजस्व संहिता

आवेदक निम्नानुसार निगरानी याचिका प्रस्तुत कर रहा है :-

यह निगरानी याचिका अधीनस्थ न्यायालय श्रीमान आयुक्त महोदय जबलपुर संभाग जबलपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 268/अ-6/2015-16 पक्षकार विनोद कुमार सोनकर विरूद्ध श्रीमती किरण बाई सोनकर में पारित आदेश दिनांक 22.8.2016 से क्षुब्ध होकर माननीय न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित तथ्यों एवं आधारों पर प्रस्तुत की जा रही है :-

प्रकरण के तथ्य

1- यह कि, मौजा सगड़ा नं.बं.421 प.ह.नं.28/33 तहसील व जिला जबलपुर स्थित खसरा नंबर 220/3, 221/3, 222/1, 219/1, 220/2, 222/2, 220/1, 219/1, 218/1, 242, 239, 240 एवं 184/1 कुल रकवा लगभग 6.00 एकड़ भूमि पूर्व से जो आवेदक की स्वयं की संपत्ति थी वर्ष 1953 में क्रय की गयी थी तब से लगातार वर्ष 1989-90 तक आवेदक के नाम समस्त राजस्व अभिलेखों में दर्ज थी जिसका वह एक मात्र स्वामी व आधिपत्यधारी है। उक्त भूमियों में भी त्रुटिवश वर्ष 1990-91 के दौरान

XXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक – निग03।५५–एक/16 जिला – जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
29.9.16	प्रकरण का अवलोकन किया तथा आवेदक अधिवक्ता एवं अनावेदक अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया एवं आलोच्य आदेश का अवलोकन किया । आवेदक अधिवक्ता द्वारा निगरानी आवेदन के साथ अधीनस्थ न्यायालय के आलोच्य आदेश की प्रमाणित प्रति के अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण की आदेश पत्रिकाओं की प्रमाणित प्रतियां भी पेश की गई हैं । आयुक्त न्यायालय की आदेश पत्रिका दिनांक 8–8–16 निम्नानुसार है :– " अपीलार्थी की ओर से श्री नामदेव अधि. उप. उत्तरवादी की ओर से श्री गौतम अधि. उप. । रिकार्ड प्राप्त अपीलार्थी/उत्तरवारी के अधि0 के तर्क सुने गये । अपीलार्थी अधि0 लिखित बहस पेश करना चाहते हैं । नियत तिथी के पूर्व पेश करें । आदेशार्थ हेतु । 20–9–16 हस्ता0 आयुक्त इस प्रकार यह स्पष्ट है कि आयुक्त द्वारा आवेदक को नियत तिथी 20–9–16 के पहले तक का समय लिखित बहस पेश करने के लिए दिया गया है और प्रकरण में आदेश पारित करने हेतु दिनांक 20–9–16 नियत की गई है । जबकि आलोच्य आदेश आयुक्त द्वारा दिनांक 22–8–16 को ही पारित कर दिया गया है आवेदक को	

निग- 3144/ I /16 (अवमपुर)

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	लिखित तर्क पेश करने हेतु दिये गये समय तथा नियत तिथि की प्रतीक्षा न करते हुए उसके पूर्व ही दिनांक 22–8–16 को अंतिम आदेश पारित करना नैसर्गिक न्याय सिद्धांतों के विपरीत होकर पूर्णतः अवैधानिक है और उसे किसी भी दृष्टि से न्यायसंगत एवं विधिसम्मत नहीं ठहराया जा सकता है । अतः आयुक्त द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांक 22–8–16 इसी स्तर पर निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण उन्हें इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि वे उभयपक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए प्रकरण का पुनः विधिवत निराकरण करें । तहसीलदार को भी निर्देश दिए जाते हैं कि यदि आयुक्त के आदेश के पालन में राजस्व रिकार्ड में कोई तब्दीली की गई हो तो उसे आयुक्त द्वारा आदेश पारित किए जाने के दिनांक 22–8–16 के पूर्व की स्थिति में रखा जाये और तद्नुसार अभिलेख संशोधित किये जायें । निगरानी तद्नुसार निराकृत की जाती है । उभयपक्ष सूचित हों । सदस्य	